



R.L.O.-176

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीए एण्ड एम/1010/प्र० 2713

जोधपुर, दिनांक 25.12.2009

आदेश

विषय :- निरस्त की गई कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने के संबंध में।

समन्वय समिति कि दिनांक 24.12.2009 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्न आदेश दिये जाते हैं -

ऐसे आवेदकों जिनकी कृषि पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 01.04.2007 एवं इसके बाद जारी हुए एवं जो किसी कारणवश मांग राशि जमा नहीं करवा सके एवं पत्रावलियों निरस्त हो गई हैं उन आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने हेतु एक अवसर और दिया जाता है। उक्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों निम्नलिखित प्रावधानों के तहत ही पुनर्जीवित की जायेगी।

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलिमा मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गयी है, उसे निगम द्वारा पुनर्जीवित करने के लिये 500/- रुपये जमा करवाने हेतु दिनांक 31.1.2010 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।
2. मांग पत्र की राशि दिनांक 16.02.2010 से 28.02.2010 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना अन्य किसी सूचना के रद्द कर दी जायेगी।
3. इन पुनर्जीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(एन एन विपदी)
उप मुख्य अभियंता (विद्युत वितरण)
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनाथ प्रेषित है-

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी/विद्युत) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियंता (जो जोन/बीजोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/वीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी (ए.ए.आर/आई.ए./अब्स/एफएम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावै सहायक माननीय अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर, माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावै सहायक माननीय अध्यक्ष निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। माननीय प्रमुख निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- अधीक्षण अभियंता (नगर/जिला/गरे एवं सधा/टी.एन.आई.एण्ड एम/आरए एण्ड पी/एवएम/एनएण्डपी/बीएफएट) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/गली/वा.जयपुर/जालौर/वीकानेर/जयपुर/सुर/श्रीमंगलसर/हनुमानगढ़।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम